राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःप0 21(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर,दिनांकः 12.4.2019

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक अनेक बार बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही, अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते है, जो एक गंभीर दुराचरण एव अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अनेक बार देखने में आया है कि स्वेच्छापूर्वक लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों के विरुद्ध यथासमय समुचित कार्यवाही अमल में नहीं लाये जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति अवधि बढ़ती जाती है, जिससे राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही जनहित/सार्वजनिक हित बाधित होता है और जनसाधारण को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे राजसेवक के अनावश्यक रूप से कैडर स्ट्रेन्थ में बनें रहने से अन्य राजसेवको की भर्ती/पदोन्नति के अवसर प्रभावित होते हैं।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 07.11.2007 द्वारा ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 के अनुसार या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण और अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित करने तथा कार्यवाही की रिपोर्ट प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक कार्मिक विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में विभाग में स्वैच्छा से अनुपस्थित होने वाले चिकित्सकों के सम्बन्ध में एक समान कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है –

1. सभी नियंत्रणाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनाक 07.11.07 की अक्षरशः पालना करते हुए कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सको की सूचना प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई के अन्तिम सप्ताह तक निदेशक(जनस्वा.) के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चत करेगें।
2. स्वैच्छा से/बिना सूचना/बिना अवकाश स्वीकृत कराये कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सको को उनके नियंत्रण अधिकारी अनुपस्थित होने की दिनांक से 10 दिवस में नोटिस देना सुनिश्चित करेगें तथा एक माह से अधिक समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशक(जनस्वा.) के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चत करेगें। एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के बावजूद चिकित्सक के विरूद्ध समय पर कार्यवाही प्रस्तावित नही करने वाले प्रकरणों में नियंत्रणाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
3. स्वैच्छा से/बिना सूचना/बिना अवकाश स्वीकृत कराये एक वर्ष से अधिक समय तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम 86(4) के तहत कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी करने की कार्यवाही निदेशालय स्तर से सम्पादित की जावेगी तथा नोटिस दिये जाने के बावजूद कार्यग्रहण नही करने वाले चिकित्सकों की सेवा समाप्ति हेतु आवश्यक प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।
4. स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
5. स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की अवधि का अवकाश स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

6. स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की अवधि के सम्बन्ध में जब तक संतोषजनक, युक्तियुक्त कारण ना हो, ऐसी अवधि का सिर्फ असाधारण अवकाश ही स्वीकृत किया जायेगा जो सभी प्रयोजनार्थ Dies non माना जावेगा।
7. प्रोबेशन काल में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः–
   A. जो चिकित्सक प्रोबेशन काल में 6 माह की राज्य सेवा करने से पूर्व ही स्वैच्छा से अनुपस्थित हो जाते हैं उनके विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम 86 के तहत स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने को सेवा में व्यवधान मानते हुए उनकी पुरानी सेवा को जब्त करते हुए पुनः कार्यग्रहण करने की तिथी से राज्य सेवा में माना जावेगा तथा उन्हे नियमानुसार पुनः प्रोबेशन काल पूर्ण करना होगा।
   B. प्रोबेशन काल में 6 माह से अधिक राज्य सेवा करने के उपरांत स्वैच्छा से अनुपस्थित होने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2) के अनुसार दण्ड स्वरूप उनकी प्रोबेशन अवधि बढायी जाकर सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
   C. प्रोबेशन काल में एक वर्ष से अधिक स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों का प्रोबेशन काल संतोषजनक नही होने के कारण राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम, 1963 के नियम 29 के तहत उनकी सेवाये समाप्त की जावेंगी।

सभी नियत्रणाधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी। उक्त दिशा निर्देशों की पालना नही करने पर सम्बन्धित नियंत्रणाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राजय मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. सभी संबधित नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि स्वैच्छा से 10 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को नोटिस जारी करें तथा एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशक(जनस्वा0) के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें तथा स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय होने से पूर्व आरोपी कार्मिकों की छुट्टियां स्वीकृत नही की जावें।
9. विभाग की वेबसाइट **http://www.rajswasthya.nic.in** के माध्यम से सूचनार्थ।
10. कम्प्यूटर रौल/आदेश पत्रावली।

(ओ0 पी0 वर्मा)
शासन उप सचिव